

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



प्रवेश नियम

शैक्षिक-सत्र 2019-20

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों
एवं

स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु
प्रवेश नियमावली

www.ccsuniversity.ac.in

www.ccsuweb.in

<https://admission.ccsuweb.in>



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र-2019-2020

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों
के लिए

प्रवेश नियम

प्रवेश परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा/यू0पी0एस0ई0ई0/एन0ई0ई0टी0 के माध्यम से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल www.ccsuniversity.ac.in पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।

बिना प्रवेश परीक्षा के योग्यता सूची से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल www.ccsuweb.in के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेंगे।

अल्पसंख्यक अभ्यर्थी सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश www.ccsuweb.in पर उपलब्ध पाठ्यक्र्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई अनिलइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण द्वास/पालन निशक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर



अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2019-20 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट तक व नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों में 3 सीट तक वृद्धि की जा सकती है। व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ)(i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को www.ccsuweb.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाइल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑफ़ लाईन सम्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं0 पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करे। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(घ)(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियां प्रकाशित की जायेगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।



अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2019-20 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट तक व नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों में 3 सीट तक वृद्धि की जा सकती है। व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ)(i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को www.ccsuweb.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाइल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑफ़ लाईन सम्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं0 पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करे। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(घ)(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियां प्रकाशित की जायेगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।



- (छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।
- (iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0पी0टी0, डिप्लोमा इन आर0डी0आई0टी0, 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी0पी0टी0 व बी0आर0डी0आई0टी0 में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- (vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/ पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/ पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।
- (ज) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि), किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ0प्र0 बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।
- (झ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती (अधिकतम 8 प्रतिशत) की जायेगी।
- (ञ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम0ए0 में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।



- (ब) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाई-स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमत्त होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटन) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।




चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



प्रवेश नियम

शैक्षिक-सत्र 2018-19

सम्बद्ध महाविद्यालयों
एवं
स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु
प्रवेश नियमावली




चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र-2018-2019

महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण हास/पालन निशक्तता (एक प्रतिशत), अंग-भंग, 1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व-सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षेत्रीय आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016-17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।
- (ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाईन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यतानुक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।



विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेंगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षितरखे जायेंगे।

नोट:- यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(घ)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015-16 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होनेपर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।



- (v) स्थापित/प्रापित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण विद्यापीठालय की पूर्ण अनुमति पर ही अनुमत्त होगा।
- (vi) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विद्यापीठालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि) किन्तु उनके बीच विषयों के योग्यता प्राप्तोंक समान विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ0सी0 बोर्ड के सामान्य शैलियों के अन्वयियों से कम नहीं होने चाहिए। स्थापित/प्रापित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।
- (vii) शरीरता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमत्त नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 8 प्रतिशत की जायेगी।
- (viii) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम0ए0 में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमत्त नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर स्थापित/प्रापित परीक्षाओं के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (ix) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विद्यापीठालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।
- (x) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (मैट्रिक) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अन्वयियों की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सन्वित्त विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यापीठालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



प्रवेश नियम

शैक्षिक-सत्र 2017-18

सम्बद्ध महाविद्यालयों
एवं
स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु
प्रवेश नियमावली



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र-2017-2018

महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
 - (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
 - (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण हास/पालन निशक्ता (एक प्रतिशत), अंग-भंग, 1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व-सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षेत्रीय आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016-17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।
 - (ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाईन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्ट रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।



विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेंगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षितरखे जायेंगे।

नोट:- यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

- (घ)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।
- (ii) प्रवेश सत्र 2015-16 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।
- (ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।
- (ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/ संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होनेपर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।
- (iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।



- (v) स्वयंप्रतिष्ठित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुज्ञानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमत्त होगा।
- (vi) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यूपीए बोर्ड के आतिरेक अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी0वी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि) किन्तु उनके पाठ्य विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ0प्र0 बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अन्वयियों से कम नहीं होने चाहिए। स्वयंप्रतिष्ठित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।
- (vii) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमत्त नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 2 प्रतिशत की जायेगी।
- (viii) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमत्त नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (ix) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।
- (x) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अन्वयियों की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सन्वन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



प्रवेश नियम

शैक्षिक-सत्र 2016-17

सम्बद्ध महाविद्यालयों
एवं
स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु
प्रवेश नियमावली



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र-2016-17

महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण हास/पालन निशक्ता (एक प्रतिशत), अंग-भंग, 1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व-सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016-17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।
- (ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यतानुक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्ट रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।



विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेंगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा।


आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षितरखे जायेंगे।

नोट:- यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

- (घ)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।
- (ii) प्रवेश सत्र 2015-16 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।
- (ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।
- (ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/ संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होनेपर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।
- (iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।



- (v) स्वतंत्रपोषित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमत्त होगा।
- (च) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यूपीबी बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो (जैसे: सीबीसीई, आईसीई, आर्डीसीई आदि) किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ०प्र० बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्वतंत्र पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।
- (छ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमत्त नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 8 प्रतिशत की जायेगी।
- (ज) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम०ए० की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम०ए० प्रथम में प्रवेश अनुमत्त नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम०ए० करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (झ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।
- (ञ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अभ्यर्थियों की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



प्रवेश नियम

शैक्षिक-सत्र 2015-16

सम्बद्ध महाविद्यालयों
एवं
स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु
प्रवेश नियमावली



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र-2015-16

महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण हास/पालन निशक्तता (एक प्रतिशत), अंग-भंग, 1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व-सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षेत्रीय आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016-17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।
- (ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाईन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यतानुक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।



विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेंगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोट:- यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

- (घ)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।
- (ii) प्रवेश सत्र 2015-16 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।
- (ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।
- (ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/ संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होनेपर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।
- (iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।



- (v) स्ववित्तपोषित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमन्य होगा।
- (च) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि) किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ0प्र0 बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।
- ✓(छ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 8 प्रतिशत की जायेगी।
- (ज) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (झ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।
- (ञ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अभ्यर्थियों की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।

